UPLL010030292022

UPLL010030292022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, ललितपुर।

उपस्थित– गुलाब सिंह–II, उच्चतर न्यायिक सेवा,
J.O. CODE–UP–5942
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1412 वर्ष 2022,

राघवेन्द्र पुत्र चन्दन कुशवाहा निवासी ग्राम मुहल्ला रामनगर, ललितपुर, थाना कोतवाली ललितपुर व जिला ललितपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य **.....अभियोजन पक्ष**

सत्र परीक्षण संख्या 150/2013
अंतर्गत धारा 307, 387, 323, 504 भा०दं०सं०
थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर।
आवेदक/अभियुक्त की ओर से– श्री कुंवर राज सिंह एडवोकेट
अभियोजन की ओर से– श्री महेन्द्र स्वरूप सविता, ADGC (Crl.)

18–10–2022 : **आदेश**

1. प्रार्थी/अभियुक्त राघवेन्द्र की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र सत्र परीक्षण संख्या 150/2013, अन्तर्गत धारा 307, 387, 323, 504 भा०दं०सं० थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि अभियुक्त बेगुनाह व बेकसूर है। अभियुक्त मजदूरी करने बाहर चला गया था। जिस कारण नियत दिनॉक पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, न ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर सका। जिस कारण उसके विरूद्ध बिना जमानतीय अधिपत्र जारी हो गया। अभियुक्त भविष्य में न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहेगा, जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं करेगा। इसी आधार पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किया गया है कि यदि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया तो अभियुक्त पुनः न्यायिक कार्यवाही से अनुपस्थित हो जायेगा। इसी आधार पर उनके द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4. जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। अभियुक्त के उपस्थित न होने पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनॉक 17–09–2022 को अजमानतीय अधिपत्र

जारी करने का आदेश पारित किया गया था। अभियुक्त द्वारा दिनॉक 30–09–2022 को वारण्ट निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर अभियुक्त को जेल भेजा गया था। अभियुक्त जेल में दिनॉक 30–09–2022 से निरूद्ध है। अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि वह मजदूरी करने बाहर चला गया था। जिस कारण नियत दिनॉक पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, न ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर सका। जिस कारण उसके विरूद्ध बिना जमानतीय अधिपत्र जारी हो गया। अभियुक्त भविष्य में न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहेगा, जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं करेगा।

6. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त की ओर से मुबलिग 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की **दो विश्वसनीय एवं स्थानीय प्रतिभू** एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये–

(i)– अभियुक्त मुकदमे के विचारण में सहयोग करेगा।

(ii)– साक्षियों को किसी तरह से प्रभावित नहीं करेगा, न ही डरायेगा व धमकायेगा।

(iii)– अभियुक्त के विरूद्ध जिस अपराध का आक्षेप लगाया गया है, उस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। साक्षी के उपस्थित होने पर कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा। अभियुक्त बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये जाने की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा,

(iv)– अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति या साक्षी को न्यायालय व पुलिस के समक्ष तथ्यों को प्रकट न करने के लिए उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

(गुलाब सिंह–II),
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
ललितपुर।
J.O.CODE–UP5942

Digitally signed by GULAB SINGH
Date: 2022.10.18 17:35:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court